राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1755/2022

राम सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.05.2022
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जाए तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करते हुए वरिष्ठता सूची को अपीलार्थी के संबंध में संशोधित की जाए।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीक्षण अभियंता के पद पर जल संसाधन वृत्त श्री विजय नगर, जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसको अधीक्षण अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध विचार न किए जाने को चुनौती देते हुए एवं उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 06.08.2018, 20.09.2018, 20.12.2019 एवं 20.02.2020 को निस्तारण न किए जाने के कारण अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उसकी प्रथम नियुक्ति सहायक अभियंता सिविल के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 1996 में हुई थी। सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध दिनांक 25.02.2004 को अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया। परंतु कुछ कार्मिकों ने पदोन्नति

आदेश दिनांक 25.02.2004 को रिक्ति वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के आधार पर अधिकरण के समक्ष चुनौती दी तथा एल.पी.मीणा एवं अन्य के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 635/2010 प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 01.08.2011 को पारित करते हुए खारिज कर दी गई। आदेश की पालना में दिनांक 20.10.2012 को रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित की गई, जिसमें एकल पीठ के निर्णय के अनुसार रिक्त पदों को वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में बांट दिया गया। रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध कुल 124 रिक्त पद थे, जिसमें 46 पद अनारक्षित, 44 पद अनुसूचित जाति के लिए एवं 34 पद अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिए थे। वर्ष 2002–03 के लिए रिव्यू डी.पी.सी. की गई, जिसमें अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया, जो अनुलग्नक–9 से प्रकट होता है। उनका कथन है कि वर्ष 2012 में अधिशाषी अभियंता पद के लिए वर्ष 2003–04 एवं वर्ष 2002–03 के लिए रिव्यू डी.पी.सी. की गई। परंतु अपीलार्थी इससे पूर्व भी रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार वह अधीक्षण अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध पदोन्नति पाने का हकदार है क्योंकि अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2008 को पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण कर लिया था। लेकिन अपीलार्थी पर दिनांक 19.12.2007 को सी.सी.ए. नियम 17 के आधार पर आरोप पत्र दिया गया था, जिसके कारण पदोन्नति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया और उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान कर दी गई और बाद में अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2010–11 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। अपीलार्थी को दिए गए दण्ड़ को उसने अपील प्रस्तुत की। दिनांक 09.01.2009 को खारिज कर दी गई। तदुपरान्त उसने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9174/2013 रामसिंह बनाम राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की, जो आज भी लम्बित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है न कि वर्ष 2008–09 के विरूद्ध। क्योंकि अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2007 को पांच वर्ष का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लिया था। दिनांक 01.04.2007 तक अपीलार्थी के विरूद्ध न तो कोई आरोप लम्बित था और न ही किसी तरह कोई दण्ड दिया गया। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 04.09.2018/03.10.2018 को रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित करने का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को भेजा। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी के पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण न होने पर उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया और

उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति पर विचार माननीय उच्च न्यायालय के आधार पर किया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7525/2022 रामसिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी विभाग अधीक्षण अभियंता सिविल के पद के विरूद्ध रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं कर रहा है। जबकि अपीलार्थी उक्त पद पर वर्ष 2007–08 में पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि दिनांक 01.04.2007 को पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण कर चुका है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अधीक्षण अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जाए तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करते हुए वरिष्ठता सूची को अपीलार्थी के संबंध में संशोधित की जाए।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2003–04 से 2002–03 हो जाने पर अधीक्षण अभियंता के पद पर अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2003 से ही की जा सकती है एवं अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर वांछित पांच वर्ष का अनुभव दिनांक 01.04.2008 को पूर्ण होता है। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध ही अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होता है। एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7556/2008 एल.पी.मीणा बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2009 के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्णय केवल वर्ष 2003–04 में अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत कार्मिकों के अनुभव कीगणना दिनांक 01.04.2003 से करने बाबत् किया गया है, जो केवल उसी प्रकरण पर लागू है, जिसे सभी कार्मिकों पर लागू नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2003–04 से 2002–03 हो जाने पर अधीक्षण अभियंता के पद पर अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2003 से ही की जा सकती है एवं अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर पांच वर्ष का अनुभव दिनांक 01.04.2008 को पूर्ण होता है। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2008–09 के विरूद्ध ही अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति

के अधिक पद रिक्त होने के कारण विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अधिशाषी अभियंताओं के लिए एक वर्ष के अनुभव की शिथिलता हेतु कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त की गई। इस शिथिलता के कारण वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिशाषी अभियंताओं को वर्ष 2008–09 की रिक्तियो के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। तत्समय अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही लम्बित होने के कारण उसका परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील निराधार होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीक्षण अभियंता के पद पर जल संसाधन वृत्त श्री विजय नगर, जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध विचार न किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती द्वारा वर्ष 1996 में हुई थी और सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध दिनांक 25.02.2004 को अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 20.10.2012 को रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित की गई, जिसमें एकल पीठ के निर्णय के अनुसार रिक्त पदों को वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में बांट दिया गया। रिक्ति वर्ष 2002–03 के लिए रिव्यू डी.पी.सी. की गई, जिसमें अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्ध अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी अधीक्षण अभियंता के पद पर रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पदोन्नति पाने का हकदार है क्योंकि अपीलार्थी भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7566/2008 लक्ष्मण प्रसाद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2009 के तरह जिसमें प्रार्थीगण की पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध उनके पांच वर्ष के अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2003 से अग्रिम पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2008–09 के विरूद्ध दिनांक 01.04.2008 को पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण होना उचित माना है। इसी प्रकार अपीलार्थी भी अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2002–03 के अनुसार अग्रिम पद पर पदोन्नति हेतु पांच वर्ष का

अनुभव दिनांक 01.04.2007 को पूर्ण कर चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी अग्रिम पदोन्नति पद अधीक्षण अभियंता के पद के लिए पांच वर्ष का अनुभव रखता है और इस प्रकार अपीलार्थी अग्रिम पद (अधीक्षण अभियंता) रिक्ति वर्ष 2007—08 के विरूद्ध पदोन्नति पाने का हकदार है। जहां तक अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सी.सी.ए. नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिए जाने के कारण अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत न किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 19.12.2007 को सी.सी.ए. नियम 17 के आधार पर आरोप पत्र दिया गया, जो आज भी माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 19.12.2007 को सी.सी.ए. नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिया गया। जबकि अपीलार्थी दिनांक 01.04.2007 को ही अग्रिम पद पर पदोन्नति पाने के लिए पांच वर्ष का अनुभव पूर्ण कर चुका था। इसलिए अपीलार्थी अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति पाने के योग्य है। विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन भी प्रत्येक वर्ष के 01 अप्रेल से किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिए जाने के कारण वह अग्रिम पद पर पदोन्नति योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7566/2008 लक्ष्मण प्रसाद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2009 के तरह अनुभव की गणना की गई है। अपीलार्थी की सेवा के अनुभव की गणना भी उसी तरह करते हुए उसको अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर विचार किया जाए। यदि अपीलार्थी की पदोन्नति का परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है तो उक्त लिफाफे को कमेटी के समक्ष खोलते हुए नियमानुसार अग्रिम पदोन्नति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाए। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से चार माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य